रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार स प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 1980/वैशाख 27, 1902

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1980/VAISAKHA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1980

का०नि०आ० 174.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करते हैं कि आर्डनेंस कारखाना महानिदेशालय के सभी समूह "ख" पदों के लिए महानिदेशक, आर्डनेंस कारखाना, उक्त नियमों के नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

[फा० सं० 1/17/79-यू०एस०-1/डी (फैक्टरी-II)]
रामदीन राजवंशी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

ORDER

New Delhi, the 5th April, 1980

S.R.O. 174.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that for all Group B posts in the Directorate General of Ordnance Factories, the Director General Ordnance Factories shall be the disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in rule 11 of the said rules.

[File No. 1(17)/79/USI/D(Fy. II)]
R. D. R[illegible] Secy.

नई दिल्ली, 2 मई,

का०नि०आ० 175.—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों का नाम नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम 1980 है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में,—

(i) अध्याय 12 के भाग 3 के खण्ड 8 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"**कल्प 8—सभी शाखाओं के नौसैनिकों को साधारण सूची में स्थायी कमीशन देना—**

289(1) उद्देश्य—इस स्कीम का उद्देश्य नौसेना की सभी शाखाओं में से सुपात्र नौसैनिकों का चयन करना और उन्हें उपयुक्त सेवारत प्रशिक्षण देना जिससे कि उन्हें अन्य शाखाओं की मार्फत आए साधारण सूची आफिसर के समरूप आफिसर बनाया जा सके।

(2) पात्रता—सभी शाखाओं के नौसैनिक इस स्कीम के अधीन पात्र होंगे परन्तु यह तब जब कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों, अर्थात्:—

(क) आयु सीमा—पाठ्यक्रम आरम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जनवरी को गैर परिशिल्पी नौसैनिक की आयु 22½ वर्ष से कम और परिशिल्पी नौसैनिक की आयु 24 वर्ष से कम हो। नौसेनाध्यक्ष के विवेकानुसार आयु सीमा में एक वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। ऐसे नौसैनिकों के हित के संरक्षण के लिए जो पुरानी स्कीम से इस पुनरीक्षित स्कीम तक की अन्तःकालीन अवधि के दौरान प्रभावित हो सकते हैं, आयु सीमा में 1981 के पाठ्यक्रम तक निम्नानुसार छूट दी जा सकती है:—

(i) सभी शाखाओं के मैकेनिक—29 वर्ष

(ii) अन्य 25 वर्ष

(ख) शैक्षिक अर्हता:—न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिकुलेशन या समतुल्य है।

(ग) सेवा—लिखित परीक्षा में बैठने से पहले गैर परिशिल्पी नौसैनिक ने अपना प्रवेश प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो तथा उनके पास वर्ग 3 विशेषज्ञ अर्हता, जहां लागू हो, भी हो। परिशिल्पी नौसैनिक के पास परिशिल्पी V वर्ग या इससे उच्चतर रैंक होना चाहिए।

(घ) वैवाहिक प्रास्थिति और वास-सुविधा—विवाहित नौसैनिक को अपने प्रशिक्षण की अवधि में न तो विवाहितों के लिए वास सुविधा दी जाएगी और न ही उन्हें अपने कुटुम्ब के साथ रहने दिया जाएगा। अविवाहित नौसैनिकों को, जब तक कि वे पुष्ट सब-लेफ्टिनेन्ट नहीं बन जाते, विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) स्वास्थ्य स्तर—नौसैनिक को एस (ए) स्वास्थ्य प्रवर्ग का होना चाहिए। ऐसे नौसैनिक भी जो अस्थायी निम्नस्तर स्वास्थ्य प्रवर्ग पाते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे किन्तु उनके मामले गुणागुण के आधार पर नौसेना मुख्यालय द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे।

(3) चयन:—

(क) आवेदन:—इस स्कीम के अधीन कमीशन के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार नौसेना—अध्यक्ष द्वारा विहित प्ररूप में अपने कमान अधिकारी की मार्फत आवेदन करेंगे।

(ख) प्रारंभिक छानबीन—आवेदनों की छानबीन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बात की युक्ति-युक्त सम्भावना है कि वे लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं और सेना चयन बोर्ड के समक्ष उत्तीर्ण हो सकते हैं, कमानों में आफिसर बोर्ड गठित किए जाएंगे। नौसैनिक को अपनी सम्पूर्ण सेवा के दौरान केवल तीन बार छानबीन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुज्ञा दी जाएगी यदि कोई नौसैनिक किसी पूर्ववर्ती स्कीम के अधीन प्रारंभिक चयन बोर्ड के समक्ष जा चुका है तो उसे भी उक्त तीन बार में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

(ग) लिखित परीक्षा:—ऐसे नौसैनिकों को, जो "प्रारम्भिक छानबीन" में उत्तीर्ण हो जाते है, लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परिशिल्पी और गैर परिशिल्पी नौसैनिकों के लिए अलग-अलग लिखित परीक्षाएं होंगी। परिशिल्पी नौसैनिकों के लिए परीक्षा का स्तर ऐसा होगा, जो उन्हें छह मास के प्रशिक्षण के पश्चात् और आई एन एस शिवाजी में तकनीकी शाखाओं के रा० र० अ० कैडेटों के साथ सम्बद्ध होने योग्य बना सके। गैर परिशिल्पी नौसैनिकों के लिए परीक्षा का स्तर, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य होगा।

(घ) सेवा चयन बोर्ड:—लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित अभ्यर्थियों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष जाना होगा।

(ङ) चिकित्सक बोर्ड—उन अभ्यर्थियों को जो सेवा चयन बोर्ड में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं चिकित्सक बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(च) अन्तिम चयन : यदि रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए होते है, तो अंतिम चयन योग्यता क्रम सूची के आधार पर किया जाएगा। जो योग्यता क्रम सूची में नहीं आते उन्हें चयन प्रक्रिया से पुनःगुजरना होगा जो लिखित परीक्षा से प्रारम्भ होगी।

(4) शाखा का आवंटन—शिक्षु के रूप में पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के कारण, ऐसे परिशिल्पी नौसैनिक, जो शिप-राइट परिशिल्पी नहीं है और जो इस स्कीम के अधीन चुने गए है, इंजीनियरी या विद्युत शाखा को आवंटित किए जाएंगे। इस स्कीम के अधीन चुने गए गैर परिशिल्पी सैनिकों और शिपराइट परिशिल्पियों को, सेना की समय समय पर होने वाली आवश्यकताओं और व्यक्ति विशेष के सुझाव के अनुसार शाखाएं आवंटित की जाएंगी।

5. प्रशिक्षण और प्रोन्नति:—

(क) परिशिल्पी : अन्तिम चयन के पश्चात्, परिशिल्पियों को कैडेट के रूप में पदामिहित किया जाएगा और उन्हें छह मास का साधारण शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नौसेना अकादमी भेजा जाएगा। उसके पश्चात् वे भूतपूर्व रा० र० अकादमी के कैडेटों के साथ हो जाएंगे और आई एन एस शिवाजी में बुनियादी इंजीनियरी पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। उन्हें कैडेट के रूप में आई एन एस शिवाजी में छह मास सेवा करने के पश्चात् मिडशिपमैन और मिडशिपमैन के रूप में छह मास सेवा करने के पश्चात् कार्यकारी सब-लेफ्टिनेन्ट के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा।

(ख) गैर परिशिल्पी—अन्तिम चयन के पश्चात्, गैर परिशिल्पी और शिपराइट परिशिल्पी को कैडेट के रूप में पदामिहित किया जाएगा और दो वर्ष के शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए नौसेना अकादमी को भेज दिया जाएगा। तत्पश्चात् वे किसी कैडेट प्रशिक्षण पोत के फलक पर, कैडेट के रूप में छह मास का जल प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इस अवधि के समाप्त हो जाने पर मिडशिपमैन के रूप में प्रोन्नत किए जाएंगे।

तत्पश्चात् :

(i) जिनको कार्यपालिका शाखा आबंटित की गई है वे मिड शिपमैन के रूप में छह मास का अतिरिक्त जल पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात् वे कार्यकारी सब-लेफ्टिनेन्ट के रूप में प्रोन्नति किए जाएंगे और अपने भूतपूर्व रा०र०अ० के साथियों के साथ आगे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।

(ii) जिनको इंजीनियरी या विद्युत शाखा आबंटित की गई है वे आई० एन० एस० शिवाजी में भूतपूर्व रा० र० अ० मिडशिपमैन के साथ हो जाएंगे और बुनियादी इंजीनियरी पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। उन्हें मिडशिपमैन के रूप में छह मास सेवा के पश्चात् सब-लेफ्टिनेन्ट के रूप में प्रोन्नति किया जाएगा।

(ग) पीछे कर दिया जाना—प्रशिक्षण के दौरान आयोजित विहित परीक्षाओं में जो कैडेट या मिडशिपमैन असफल रहेंगे उन्हें एक बार में छह मास के लिए पीछे कर दिया जाएगा और तदनुसार उनकी प्रोन्नति देर से की जाएगी। कार्यकारी सब-लेफ्टिनेन्ट के रूप में प्रोन्नति किए जाने के पश्चात् असफल रहने की दशा में शास्ति वही होंगी जो भूतपूर्व रा० र० अ० कैडेटों को लागू होती है।

(घ) वापस बुलाना—ऐसे किसी प्रशिक्षार्थी को जो प्रशिक्षण में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाता है, नौसेना मुख्यालय के अनुमोदन से वापस बुला लिया जा सकेगा। यदि किसी प्रशिक्षार्थी को कैडेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान वापस बुला लिया जाता है तो उसे सभी प्रयोजनों के लिए ज्येष्ठता की किसी हानि के बिना, नौसैनिक के रूप में उसके मूल रैंक में और शाखा को प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा यदि उसे मिडशिपमैन के रूप में प्रोन्नति के पश्चात् वापस बुलाया जाता है तो उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

(ङ) पदत्याग प्रशिक्षण के दौरान किसी अभ्यर्थी को पदत्याग करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। यदि वह ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण में है, प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी रकम का प्रतिदाय करने का दायी होगा जो सरकार विनिश्चित करे किन्तु यह रकम, उसके प्रशिक्षण, भोजन, वास सुविधा और आनुषंगिक सेवाओं के लिए सरकार द्वारा उपगत रकम से अधिक नहीं होगी।

(6) वेतन और भत्ते—कैडेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान वे, कैडेट चुने जाने के समय नौसैनिक रूप में धारित अधिष्ठायी रैंक के वेतन और भत्ते के पात्र होंगे। वे उस रैंक में अनुज्ञेय वेतन वृद्धि यदि कोई हो पाने के हकदार होंगे। मिडशिपमैन के रूप में प्रोन्नति किए जाने पर वे, मिडशिपमैन के लिए वेतन और भत्तों से सम्बन्धित सुसंगत विनियमों से शासित होंगे।

(7) सज्जा भत्ता—कैडेट के रूप में प्रशिक्षण के लिए चयन हो जाने पर, वे सज्जा भत्ता, जो कैडेटों को मिलता है, दिए जाने के पात्र होंगे।

(8) भोजन—कैडेट के रूप में प्रशिक्षण पाने के दौरान प्रशिक्षार्थी अन्य कैडेटों की तरह ही मुफ्त भोजन के लिए पात्र होंगे। मिडशिपमैन के रूप में प्रोन्नति किए जाने पर वे अन्य मिडशिपमैनों की तरह सहायता प्राप्त भोजन पाने के लिए पात्र होंगे।

(9) वास सुविधा—कैडेट के रूप में इन प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क वास सुविधा दी जाएगी। उसके पश्चात् उनसे उतना वास सुविधा प्रभार उद्गृहित किया जाएगा जितना अन्य आफिसरों से किया जाता है।

(10) छुट्टी—कैडेट के रूप में पुनः पदाभिहित किए जाने के पश्चात् किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु जैसी अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियां छोड़कर, आवधिक अंतरालों के दौरान ही वार्षिक छुट्टी दी जाएगी।

(11) यात्रा और दैनिक भत्ते : प्रशिक्षार्थी, अ [illegible] और कार्यकारी सब-लेफ्टिनेन्टों की तरह ही यात्रा [illegible] भत्तों के लिए पात्र होंगे।

(ii) खण्ड 13 में, विनियम 335 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित विनियम और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"335. शाखाएं—भारतीय नौसेना रिजर्व में कार्यपालिका, इंजीनियर और विद्युत शाखाएं होंगी। भारतीय नौसेना स्वयं सेवक रिजर्व में शिक्षा शाखा और चिकित्सा शाखा भी होंगी। नौसेना रिजर्व के चिकित्सक आफिसर सम्बन्धी निबंधनों और भत्तों के लिए उपबंध 10 देखिए।"

(iii) विनियम 336 के उपविनियम (1) में, खण्ड (क) के उपखण्ड (iv) का लोप किया जाएगा।

(iv) विनियम 342 में, खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा;

(v) विनियम 344 में, खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;

(vi) विनियम 345 में, खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा और खण्ड (ङ) को खण्ड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा,

(vii) विनियम 347 में, खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा और खण्ड (घ) और (ङ) को क्रमशः खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा;

(viii) विनियम 351 में, खण्ड (क) के उपखण्ड (iv) का लोप किया जाएगा।

(i) विनियम 361 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा अर्थात्:—

"361. विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के प्रकार:—सुविधानुसार निम्नलिखित विशेषज्ञ पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे अर्थात्:—

कार्यपालिका शाखा—तोपखाना, टारपीडो, पनडुब्बी भेदन, संचार, नौचालन और दूरि तथा सचिवालयी उच्च पाठ्यक्रम।

इंजीनियरी शाखा :—नौसेना इंजीनियरी

विद्युत शाखा—उच्च और निम्न शक्ति विद्युत पाठ्यक्रम, रेडियो पाठ्यक्रम जिसमें सोनार टेलीफोन शाखा और राडार भी है।

शिक्षा शाखा :—नौसेना में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से किसी का पाठ्यक्रम

[नौसेना मुख्यालय फाईल संख्या : एम पी/0356]

ग० ना० बाजपे,
संयुक्त सचिव

New Delhi, the 2nd May, 1980

S.R.O. 175.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations, further to amend the Naval Ceremonial Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964, namely: —

1. These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 1980.

They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964.

3.(i) In Chapter XII, part III, for Section VIII and entries relating thereto the following section and entries shall be substituted, namely :—

"SECTION VIII"—GRANT OF PERMANENT COMMISSION IN THE GENERAL LIST TO SAILORS OF ALL BRANCHES.

289. (1) *Aim.* The aim of this scheme shall be to select deserving sailors from amongst all the branches of the Navy and to give them appropriate in-service training so as to make them general list Officers fully at par with entrants through other schemes.

(2) Eligibility—Sailors of all branches shall be eligible under this scheme, provided they fulfil the following conditions, namely :—

(a) Age Limits.—Non-Artificers sailors shall be under 22-1/2 years of age, and Artificer sailors under 24 years of age on 1st January of the year in which the course commences. Age limit can be relaxed upto one year at the discretion of the Chief of the Naval Staff. To protect the interests of sailors who may be affected during the transitional period from the old to this revised scheme, the age limits can be further relaxed as follows, upto the 1981 course :—

(i) Mechanicians of all branches—29 years.

(ii) Others—25 years.

(b) Educational Qualification.—The minimum educational qualification shall be Matriculation or equivalent.

(c) Service.—Before appearing for the written examination, a Non-Artificer sailor should have completed his induction training, including Class III Specialist Qualification where applicable. An Artificer sailor, should hold the rank of Artificer V class or higher.

(d) Marital status and Accommodation.—Sailors who are married shall not be provided married accommodation nor allowed to live with their families while undergoing training. Those who are not married shall not be permitted to marry till they become confirmed Sub-Lieutenants.

(e) Medical Standards.—A sailor should be in S1A1 medical category. Those in temporary lower medical category shall also be eligible to apply but their cases shall be decided on merits by Naval Headquarters.

(3) Selection

(a) Application.—Candidates wishing to apply for commission under this scheme shall apply, on the Form prescribed by the Chief of the Naval Staff, through their Commanding Officers.

(b) Preliminary Screening.—Boards of officers shall be constituted in Commands to screen the applicants and ensure that they have a reasonable chance of qualifying in the written examinaton and pass the Services Selection Board. A sailor shall be permitted to appear before the Screening Board only three times during his entire Service. The number of times a sailor has appeared before the Preliminary Selection Board under the earlier scheme shall also be counted against this total.

(c) Written Examination.—Sailors who pass the 'Preliminary Screening' shall be permitted to appear in a written examination. There shall be two separate written examinations, one for Artificers and the other for Non-Artificiers. The standard of examination for Artificers shall be such as enable them, after six months of training, to conjoin with NDA cadets of technical branches at INS Shivaji. The standard of examination for Non-Artificers shall be equivalent to that of Higher Secondary.

(d) Services Selection Board.—Candidates declared successful at the written examination shall be required to appear before the Services Selection Board.

(e) Medical Board.—Candidates who qualify in the Services Selection Board shall be required to appear before a Medical Board.

(f) Final Selection.—Final selection shall be made on the basis of a merit list in case there are more successful candidates than there are vacancies. Those who fail to make the merit list shall have to undergo the selection process again starting with the written examination.

(4) Branch Allocation.—Because of the substantial technical training undergone by them as apprentices, Artificers, excepting Shipwright Artificers, who are selected under this scheme shall be allotted to the Engineering or Electrical Branch. Non-Artificer sailors and Shipwright Artificers selected under this scheme shall be allotted branches depending upon the needs of the Service from time to time, and the aptitude of the individual.

(5) Training and Promotion.—

(a) Artificers.—After final selection, Artificers shall be designated as Cadets and sent to the Naval Academy for undergoing six months of general academic training. Thereafter, they shall conjoin with ex-NDA cadets and undergo the Basic Engineering Course at INS Shivaji. They shall be promoted to Midshipmen after six months service at INS Shivaji as cadets and to Acting Sub-Lieutenant after six months service as Midshipmen.

(b) Non-Artificers.—After final selection, Non-Artificers and Shipwright Artificers shall be designated as cadets and sent to the Naval Academy for two years academic training. Thereafter, they shall undergo six months afloat training as cadets on board a Cadets' Training Ship and be promoted Midshipmen at the end of this period.

Thereafter:—

(i) Those allotted Executive Branch shall undergo a further six months training afloat, as Midshipmen. After this they shall be promoted as Acting Sub-Lieutenant and undergo further training courses along with their ex-NDA counterparts.

(ii) Those allotted Engineering or Electrical Branch shall conjoin with ex-NDA Midshipmen at INS Shivaji and undergo the Basic Engineering Course. They shall be promoted to Acting Sub-Lieutenant after serving for six months as Midshipmen.

(c) Relegation.—Those failing in the prescribed examinations held during training as Cadets and Midshipmen shall be relegated by six months at a time and their promotion delayed accordingly. Penalty for failure after being promoted as Acting Sub-Lieutenant shall be as applicable to ex-NDA Cadets.

(d) Withdrawal.—A trainee who fails to make adequate progress may be withdrawn from traininng with the approval of Naval Headquarters. If a trainee is withdrawn while under training as a Cadet, he shall be reverted to his original rank and branch as sailor without loss of seniority for all purposes. If he is withdrawn after being promoted Midshipmen, he shall be discharged from the Service.

(e) Resignation.— A candidate shall not be permitted to resign while undergoing training. In case he fails to complete the traininng for reasons within his control, he shall be liable to refund such sum as may be decided by the Government, but not exceeding the amount incurred by the government, for his training, messing, accomdation and allied services.

(6) Pay and Allowances.—While undergoing training as Cadets, they shall be eligible for the pay and allowances of the substantive rank held by them as sailor at the time of

selection to Cadet. They shall also be entitled to receive increments of pay, if any, admissible in the rank. On being promoted to Midshipmen, they shall be governed by the relevant regulations regarding pay and allowances for Midshipmen.

(7) Outfit Allowance.—On being selected for training as Cadets, they shall be eligible for the grant of outfit allowance as applicable to cadets.

(8) Messing.—While undergoing training as Cadets, the trainees shall be eligible for free massing as applicable to other Cadets. On being promoted Midshipmen, they shall be eligible for aid-in-messing, as applicable to other Midshipmen.

(9) Accommodation.—These trainees shall be provided free accommodation as Cadets. Thereafter, accommodation charges shall be levied from them as applicable to other officers.

(10) Leave.—After redesignation has Cadet, annual leave shall be given only during term breaks except in very exceptional circumstances, such as death of a near relative etc.

(11) Travelling and Daily Allowances.—Trainees shall be eligible for Travelling and Daily Allowances as applicable to other Cadets, Midshipmen and Acting Sub-Lieutenants."

(ii) in Chapter XIII, for regulation 355 and the entries relating thereto the following regulation and entries shall be substituted, namely :—

"335. Branches.—The Indian Naval Reserve shall comprise Executive, Engineering and Electrical Branches. The Indian Naval Volunteer Reserve shall, in addition, have the Education Branch and Medical Branch. For terms and conditions of Medical Officers of the Naval Reserve, see Appendix X."

(iii) in regulation 336, sub-regulation (i) sub clause

(iv) of clause (a) shall be omitted;

(iv) in regulation 342, clause (D) shall be omitted;

(v) in regulation 344, clause (D) shall be omitted;

(vi) in regulation 345, clause (D) shall be omitted; and clause (E) shall be renumbered as clause (D).

(vii) in regulation 347, clause (c) shall be omitted and clauses (d) and (e) shall be renumbered as clauses (c) and (d) respectively.

(viii) in regulation 351, sub-clause (iv) of clause (a) shall be omitted.

(ix) for regulation 361, the following regulation shall be substituted, namely:—

"361. Types of Specialist Courses.—The following specialist courses shall be conducted when convenient namely:—

Executive Branch—Gunnery, Torpedo and Anti Submarine, Communication, Navigation, and Supply and Secretariat Advanced Course.

Engineering Branch.—Naval Engineering.

Electrical Branch.—High and Low Power Electrical Course, Radio Course including W|T and Radar.

Education Branch.—A course in subjects taught in the Navy."

[NHQ F. No. MP/0356]

S. N. BAJPE, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.